ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व राज्य लेखा परीक्षा विभाग; हिमाचल प्रदेश, को सोंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मंगला, विकास खंड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत मंगला में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव, कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती गरीबो देवी	01-04-2023 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री संजीव चौना	01.04.2022 to 16.11.2023
2.	श्री सुनील कुमार	17.11.2023 to 31.03.2024

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	4.3	0.70
2.	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	6.1	15.66
3.	पंचायत राजस्व, (गृहकर), मोबाईल टावर, दूकान किराया, विवाह शुल्क की बकाया वसूली न करने बारे	7.1 से 7.4 तक	2.47
4.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के अनियमित भुगतान करने बारे।	8.2	2.07
5.	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	8.3	0.10
6.	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	8.5	18.4
7.	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	9.1	0.90
8.	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	9.2	0.16
9.	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	9.3	0.16
10.	मनरेगा मद के सम्बन्धित मस्ट्रोल, आवेदन, माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे	9.4	1.99
11.	PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में अन्तर बारे	10.4	7.51

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 31-07-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई अमल में नही लाई गई है। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर कार्रवाई न करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	5	अनिर्णीत	
2.	9	अनिर्णीत	
3.	10(क)(ख)	अनिर्णीत	-
4.	11(क)(ख)	अनिर्णीत	-
5.	12	अनिर्णीत	-
6.	13	अनिर्णीत	-
7.	15	अनिर्णीत	-
8.	16	अनिर्णीत	-
9.	17	अनिर्णीत	-
10.	18(क से ग)	अनिर्णीत	-

11.	19	अनिर्णीत	-
12.	20	अनिर्णीत	-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023 तक

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरा स्थिति**	**टिप्पणी**
1.	**3**	**अनिर्णीत**	
2.	4	-	वर्तमान अंकेक्षण में पुन प्रारूपित
3.	5.1.	अनिर्णीत	
4.	5.2	अनिर्णीत	-
5.	6.1	अनिर्णीत	-
6.	6.2	अनिर्णीत	-
7.	7.1	अनिर्णीत	-
8.	7.2	अनिर्णीत	-
9.	7.3	अनिर्णीत	-
10.	7.4	अनिर्णीत	-
11.	7.5	अनिर्णीत	-
12.	8.1	अनिर्णीत	-
13	8.2	अनिर्णीत	-
14	8.3	अनिर्णीत	
15	9.1	अनिर्णीत	
16	9.2	अनिर्णीत	
17	9.3	अनिर्णीत	
18	9.4	अनिर्णीत	
19	9.5	अनिर्णीत	

20	9.6	अनिर्णीत	
21	10.1	अनिर्णीत	
22	10.2	अनिर्णीत	
23	10.3	अनिर्णीत	

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मंगला, विकास खंड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024 के लेखाओं का वर्तमान श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16-10-2024 से 27-10-2024 तक ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय में किया गया। आय-व्यय की विस्तृत जांच के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2023-2024	03/2024	02/2024

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 20-10-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4.1 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मंगला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत मंगला के अवधि 01/04/2023 से 31/ 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	237872	50694	288566	204080	84486

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2023-24	1445307	8688323	10133630	8567922	1565708

कुल योग (1 + 2) = ₹84486+ ₹1565708= ₹1650194

(ब) ग्राम पचांयत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	विवरणी	राशि 31-03-2024
1	99070100008943,	HPGB MANGLA	15TH FC	1141597
2	99078100058666,	HPGB MANGLA	VKVNY/IWMP /CRF/SDP	318114
3	99070100001133,	HPGB MANGLA	WDF	707

4	17910107071	**HPSCB CHAMBA**	**SF/SFC**	**119694**
5			**cash in hand**	**0**
		Total		1580112

अन्तर (ब-अ) ₹1650194- ₹ 1580112 = **₹ 70082**

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि **₹ 70082**/- का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था। जिसका मिलान अतिशीघ्र किया जाये।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ 0.70 लाख का अन्तर

रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में **₹70082** का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक :- 20.10.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के <u>नियम 11</u> के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत

द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹15.65 लाख का अवरोधन।

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1565708 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10 दिनांक 20.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मंगला के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के आदेशों की प्रति/पत्र अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध न करवाने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गए अनुदानों के स्वीकृति पत्रों की प्रतियाँ अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि, पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान किस उद्देश्य /कार्य विशेष हेतु प्राप्त किये गए हैं।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत को अनुदान आदेशों की प्रति/पत्र प्राप्त नहीं हुए तथा खंड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप से अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अत: उक्त प्रकरण को विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.48 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी

कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹48743/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	**2023-24**	33268	520	30	15600	48868	125	48743

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 18-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत राजस्व, दुकानों का किराया राशि ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना एवं दुकानों के आबंटन में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त,बजट, लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढंग से व अबिलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित,वसूल व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है। इसके अत्तिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्या पीसीएच-एचसी (7)10/30-3031-30436 दिनांक 07-09-2008 द्वारा ग्राम पंचायत के व्यावसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने हेतु निम्न कमेटी गठित की जानी आवशयक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार के किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके एवं कोई वैधानिक कठिनाई न हो।

1) उपमंडलाधिकारी/तहसीलदार (अध्यक्ष)

2) खंड विकास अधिकारी (सदस्य)

3) प्रधान सम्बन्धित ग्राम पंचायत (सदस्य)

4) पंचायत निरीक्षक (सदस्य)

5) पंचायत सचिव/ सहायक (सदस्य)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध करेगी एवं उसमें निम्न शर्तें भी निर्धारित करेगी:-

1) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो।

2) किराये में वृद्धि का प्रावधान **किराया नियंत्रण अधिनियम 1987** के अनुरूप रखा जाये।

3) यदि कोई किरायेदार किराया नहीं देता है अथवा परिसर को नुक्सान पहुंचाता है तो परिसर को 30 दिन की अवधि के अंदर खाली करने का प्रावधान रखा जाये।

4) किरायेदार को परिसर को किसी अन्य को किराये पर देने (Subletting) का अधिकार न हो।

5) किरायेदार परिसर में किसी भी उपयोग परिवर्तन/अतिक्रमण/निर्माण इत्यादि हेतु अधिकृत नहीं हो।

6) सम्बन्धित व्यवसायिक परिसरों/भवनों को किराये पर देने से पूर्व पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार किया जाये तथा परिसरों/भवनों को खुली बोली से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7) व्यवसायिक परिसरों/भवनों के पानी/बिजली बिलों की अदायगी किरायेदार द्वारा ही की जाये।

(क) ग्राम पंचायत मंगला के अंकेक्षण में पाया गया कि; ग्राम पंचायत द्वारा 07 दुकानें किराये पर दी थी। इनमें सभी दुकानों का किराया नियमित रूप से वसूल नहीं किया जा रहा था तथा दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार कुल राशि ₹**19200** वसूली हेतु शेष है।

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत की संख्या	दर प्रति	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1.	**2023-24**	14400	2	200	4800	19200	0	19200

(ख) किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०) की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि: पंचायत द्वारा उक्त वर्णित सरकारी नियमों, आदेशों, अनुदेशों एवं शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं की जा रही है एवं विविध अनियमिततायें की जा रही है।

1. किसी भी किरायेदार के साथ (दुकान) का अनुबंध नहीं किया गया है।
2. अधिकतर दुकानों का किराया नहीं वसूला जा रहा है।
3. काफी समय से कोई भी किराया बढ़ौतरी नहीं की गई है।
4. पंचायत की सम्पति को पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार किराये पर देने हेतु किसी भी कमेठी का गठन नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 19-06-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मंगला को अवगत करवाया गया। तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सचिव, ग्राम पंचायत मंगला द्वारा सूचित किया कि " बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जाएगी एवं पंचायत द्वारा किराये पर आबंटित दुकानों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।"

उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रति उदासीनता का द्योतक है; जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है एवं भविष्य में किसी वैधानिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः दुकानों के किराये की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके एवं दुकानों के आबंटन में नियमानुसार कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर की कम्पनी से वार्षिक शुल्क की वसूली न करने के कारण ₹1.80 लाख का बकाया शेष :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ौतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाईल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाईल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नही चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नही चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

ग्राम पंचायत मंगला विकास खंड मैहला जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नही वसूला गया है जिसका विवरण निम्न दिया गया है -:

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2023-24	180000	0	180000	0	180000

अत: उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹180000 प्राप्त करना शेष था। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाईल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी

करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नही किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नही किया गया था। अत: मोबाईल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नही थी जो कि उपरोक्त नियमो की अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹2250/-की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0070-60-108-01" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – 4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2023-24, के विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹2250/- की वित्तीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर

वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-05 दिनांक 18-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक व कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 18-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिना W,X फॉर्म के राशि ₹02.07 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म W या X प्रस्तुत करना

अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभागं के पत्र संख्या एक्स.ई.एन (आर डी एवं पी आर) डी बी जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30. दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म एक्स या डब्ल्यू प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित विवरण अनुसार ₹207910.0 का अनियमित भुगतान किया गया।

Sr. No	Name Of Vender/Supplier	Grants/ Head	Voucher/Bill Date	Date Of Payment	Name Of Material	Qty. M3	Amount Paid
1	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	2/14.05.23	14.05.23	Agg	3.30	10560.0
2	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	3/14.05.23	14.05.23	Sand	0.70	1750.0
3	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	5/14.05.23	14.05.23	Agg	2.00	6400.0
4	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	6/14.05.23	14.05.23	Sand	1.00	2500.0
5	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	7/14.05.23	14.05.23	Sand	2.00	5000.0
6	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	8/14.05.23	14.05.23	Agg	6.00	19200.0
7	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	29/05.07.23	05.07.23	Sand	4.00	10000.0
8	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	19/21.05.23	21.05.23	Sand	4.00	10000.0
9	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	22/21.07.23	21.05.23	Agg	3	9600.00

10	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	166/28.02.24	28.02.24	Sand	10	26000.00
11	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	164/28.02.24	28.02.24	Sand	6	15600.00
12	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	165/28.02.24	28.02.24	Agg	6	21600.00
13	Dheeraj Kumar S/O Duni Chand	Mnrega	004/20.02.24	28.02.24	Sand	5	12950.00
14	Dheeraj Kumar S/O Duni Chand	Mnrega	005/20.02.24	28.02.24	Agg	5	17950.00
15	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	167/28.02.24	28.02.24	Sand	8	20800.00
16	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	168/28.02.24	28.02.24	Agg	5	18000.00
						TOTAL	207910.0

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः -06 दिनांक 20/10/2024 के प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया की उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त भुगतान को पूर्ण अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.10 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹207910/- का किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में

जमा करने सम्बन्धित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹9900/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

Sr.No	Name Of Vender/Supplier	Grants/ Head	Voucher/Bill Date	Name Of Material	Amount Paid	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
1	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	2/14.05.23	Agg	10560	10057.1	502.9
2	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	3/14.05.23	Sand	1750	1666.7	83.3
3	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	5/14.05.23	Agg	6400	6095.2	304.8
4	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	6/14.05.23	Sand	2500	2381.0	119.0
5	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	7/14.05.23	Sand	5000	4761.9	238.1
6	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	8/14.05.23	Agg	19200	18285.7	914.3
7	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	29/05.07.23	Sand	10000	9523.8	476.2
8	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	19/21.05.23	Sand	10000	9523.8	476.2
9	Suraj Kumar Po Mangla	15th Fc	22/21.07.23	Agg	9600	9142.86	457.14
10	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	166/28.02.24	Sand	26000	24761.90	1238.10
11	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	164/28.02.24	Sand	15600	14857.14	742.86
12	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	165/28.02.24	Agg	21600	20571.43	1028.57
13	Dheeraj Kumar S/O Duni Chand	Mnrega	004/20.02.24	Sand	12950	12333.33	616.67
14	Dheeraj Kumar S/O Duni Chand	Mnrega	005/20.02.24	Agg	17950	17095.24	854.76
15	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	167/28.02.24	Sand	20800	19809.52	990.48
16	Suraj Kumar Po Mangla	Mnrega	168/28.02.24	Agg	18000	17142.86	857.14
				total	207910	198009.5	9900.5

इस गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -06 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत मंगला के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण

किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹18.4 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (Mnrega Opretional Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस o एमo एसo -8/2010-11-आरडीडी फण्ड दिनांक 18 जून 2011 के अंतर्गत मजदूरी घटक अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध सुचना अनुसार मजदूरी के ऊपर कम अनुपात में व्यय किया गया था तथा सामग्री के उपर ज्यादा अनुपात में व्यय किया गया था जोकि मनरेगा नियमों की अवहेलना की जा रही थी तथा मनरेगा अधिनियम के मूल उदेश्यों की भी अवहेलना थी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री जैसे (पत्थर) की तुड़ाई व् ढूलाई मजदूरों से न करके आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी जिस कारण काम करने वाले मजदूरों को कम कार्य दिवस मिले तथा आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित व अनुचित था पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार निम्नलिखित अनुपात में भुगतान किया गया था

वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत किया गया कुल व्यय राशि (लाख में)	मजदूरी पर खर्च की गई राशि (लाख में)	सामग्री पर खर्च की गई राशि (लाख में)	व्यय जो अनुपात में किया जाना था राशि (लाख में)		सामग्री हेतु किया गया अधिक / अनुचित भुगतान (40% से अधिक) राशि (लाख में)
				मजदूरी	सामग्री	
2023-24	67.11	21.87 (32.59%)	45.24(67.41%)	40.26	26.84	18.4
					कुल	18.4

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नही दोहराया जायेगा ।" दिया गया उत्तर तर्कसंगत नही है क्योंकि उक्त मजदूरी व् सामग्री पर किया गया व्यय अनुपात में न होने के कारण मजदूरों को रोजगार के लिए कम मिले अत: उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सामग्री पर किये गये अनियमित / अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त अनियमितता को विशेष रूप से उचाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है ।

9.1 ₹0.90 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे ।

i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत मंगला के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिल/वाउचर का भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद
20860	83/16/31.08.23	50010	LABOUR PAYMENT	VKVNY
20849	47/14.05.23	40120	LABOUR PAYMENT	15th fc
		90130		

ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि मस्टर रोल के साथ साथ पंचायत द्वारा समस्त बिल/ वाउचर का भुगतान भी बिना संयुक्त हस्ताक्षर के किया जा रहा था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 20.10.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत मंगला के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.16 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मंगला द्वारा राशि **₹16205**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्र० सं	**वाउचर संख्या /दिनांक**	**निधि का नाम**	**विवरण**	**मद का विवरण**	**राशि (₹)**
1	6/30.04.23	SF	RAJ KUMAR VPO MANGLA DISTT CHAMBA	STATIONARY	7800
2	12/17.07.23	SF	SUDHEER KUMAR COMMUNICATION	STATIONARY	8405
				TOTAL	**16205**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 20-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत मंगला के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹0.16 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹16205 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

क्र० सं	**वाउचर संख्या /दिनांक**	**निधि का नाम**	**विवरण**	**मद का विवरण**	**राशि (₹)**
1	6/30.04.23	SF	RAJ KUMAR VPO MANGLA DISTT CHAMBA	STATIONARY	7800
2	12/17.07.23	SF	SUDHEER KUMAR COMMUNICATION	STATIONARY	8405
				Total	16205

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या -08 दिनांक 20-10-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये। सम्बन्धित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा मद के सम्बन्धित राशि ₹1.99 लाख के मस्टर रोल, आवेदन, माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-5 अनुसार विकास कार्यों पर खर्च की हुई राशि के मस्टर रोल, कार्य हेतु दिए गये आवेदन ,माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये जिससे यह ज्ञात करना मुश्कित था की उक्त व्यय वास्तव में विकास कार्यों पर हुआ है अथवा नही जिस कारण किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही की जा सकी जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

Muster Roll No.	date of payment	Amount on UnSkilled(In Rupees)
17376	23-02-2024	22690.8
17377	23-02-2024	22501.71
17378	23-02-2024	6807.24
17383	21-02-2024	2880
16486	08-02-2024	25200
17382	21-02-2024	7200
17381	21-02-2024	4800

17380	21-02-2024	4800
17372	21-02-2024	9600
17369	21-02-2024	26400
16575	21-02-2024	31200
16576	21-02-2024	15600
16492	08-02-2024	20148.24
		199827.99

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 25-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत मंगला के ध्यानार्थ लाया गया था जिसका कोई प्रतियुत्तर अंकेक्षण को नही दिया गया।

अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करवाकर लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी

विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-10 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या -10 दिनांक 20-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत मंगला द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सार्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक :-20-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 e-Gramswaraj में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹7.51 लाख के अन्तर बारे

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार ₹₹751699 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को **e-Gramswaraj** में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹2401893
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्त शेष	**₹1650194**
अन्तर	₹751699

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा **e-Gramswaraj** सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 20.10.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि **e-Gramswaraj** में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.5 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	Mnrega FTO रजिस्टर		

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-10, दिनांक 20.10.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मंगला की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष** :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

06 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 06.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

108 – 112 का0/60

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 96/2022 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 JAN 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 06.01.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/60

	परिशिष्ट -1	पैरा संख्या 4.1(क)(i)	के संदर्भ में		
Financial Position of Own Sources in r/o			" GP MANGLA "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	237872	50694	288566	204080	84486

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मंगला
विकास खण्ड मेहला जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट -2 पैरा संख्या 4.1(क)(ii) के संदर्भ में

Grant in aid in r/o " GP MANGLA " Dev. Block MEHLA Distt Chamba HP-176314

Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	1445307	8688323	10133630	8567922	1565708

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मंगला
विकास खण्ड मेहला जिला चम्बा (हि०प्र०)

परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 4.3 व 6 के संदर्भ में

Grant in aid in r/o	" GP MANGLA "	Dev. Block MEHLA	Distt Chamba HP-176314	Year Ended	2023-24
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5th sfc	379110	340218	719328	649040	70288
2	IWMP	144996	0	144996	54063	90933
3	CDPO	0	50000	50000	0	50000
4	SDP	590	424800	425390	365024	60366
5	VKVNY	125300	149700	275000	50010	224990
6	15TH FC	794498	1054534	1849032	780618	1068414
7	MNREGA	0	6669041	6669041	6669041	0
8	14TH FC	126	0	126	126	0
9	WDF	687	30	717	0	717
	TOTAL	1445307	8688323	10133630	8567922	1565708

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources			84486
2	Cash Book Balance on 31.03.2024		5th sfc			70288
3	Cash Book Balance on 31.03.2024		IWMP			90933
4	Cash Book Balance on 31.03.2024		CDPO			50000
5	Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP			60366
6	Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY			224990
7	Cash Book Balance on 31.03.2024		15TH FC			1068414
8	Cash Book Balance on 31.03.2024		MNREGA			0
9	Cash Book Balance on 31.03.2024		14TH FC			0
10	Cash Book Balance on 31.03.2024		WDF			717
	Balance as Per Bank on 31.03.24					1650194
	A/c No	Branch	Head			
1	99070100008943,	HPGB MANGLA	15TH FC			1141597
2	99078100058666,	HPGB MANGLA	VKVNY/IWMP /CRF/SDP			318114
3	99070100001133,	HPGB MANGLA	WDF			707
4	17910107071	HPSCB CHAMBA	SF/SFC			119694
		Cash In Hand				
	Total					1580112
					Diffrence	70082

Note :- 1.online cash book(e-gram swaraj) not produced in audit

2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book .So opening balance taken from bank pass books and DPO Trial balances.

3. mgnarega cash book not produced in audit. So income and expenditure taken from financial statement.

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मंगला
विकास खण्ड मैहला जिला चम्बा (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत मंगला विकास खंड मैहला विवाह पंजीकरण शुल्क 1.04 .23 से 31.03.2024 तक

क्र सं	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	01	Devinder Kumar	29/5/2023	21/6/2023	200-	—	→ 200
2	02	Vikas	01/7/2023	17/7/2023	200 -	—	→ 200
3	03	Shubham Kumar	03/7/2023	18/7/2023	200	—	— 200
4	04	Anil Kumar	5/5/2023	18/7/2023	400-	←	→ 400
5	05	Joginder	19/10/2023	11/12/2023	400/-	400/-	400/-
6	06	Rohan Kumar	24/10/2023	16/12/2023	400/-	400/-	400/-
7	07	Umesh Kumar	24/9/2023	20/12/2023	50/-	50/-	50/-
8	08	Amar Nath	28/01/2021	22/12/2023	400/-	400/-	400/-
9							
10						1250	2250
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मंगला
विकास खण्ड मैहला जिला चम्बा (हि०प्र०)